न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 43/2022 (35/22) जीसीएमएस नं0 2022/85

उनवानी प्रकरण :–

राकेश कुमार सिकरवार पुत्र श्री रनसिंह सिकरवार निवासी जगदम्बा कोलोनी सैपऊ रोड़, धौलपुर।

———————— अपीलान्ट

बनाम

1.मैनेजर सिविल सप्लाई, जिला भरतपुर
2.जिला सप्लाई ऑफिसर–I , जिला भरतपुर
3.जिला सप्लाई ऑफिसर–II जिला भरतपुर
4.असिसटेंट ऑडिट ऑफिसर– II, जिला भरतपुर

———————— रेस्पोडेण्ट

प्रथम अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 38

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– प्रमोद सिंह, अभिभाषक
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– स्वंय, मैनेजर सिविल सप्लाई, जिला भरतपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक 10.01.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 38 के अन्तर्गत विरूद्व प्रबंधक राज.राज्य खाध एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 भरतपुर प्रस्तुत की है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी राकेश कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 10.11.2022 की प्रति पेश करते हुए न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील

जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा निस्तारित की जाए। प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील में कथन किया गया है कि प्रार्थी भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का परिवहन उचित मूल्य दुकानदारों तक करने का कार्य करता है, जिसके लिए उसके द्वारा एक निविदा वर्ष 2022–23 के लिए जिला भरतपुर में कार्य हेतु प्रस्तुत की गई, जो जिला स्तरीय कमेटी भरतपुर द्वारा बिना किसी वैधानिक एवं उचित आधार के निरस्त कर दी गई। निविदा की शर्त अनुसार निविदा संबंधी प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर भरतपुर होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील कलक्टर भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस अपील में यह प्राथमिक आपत्ति भी लेना बताया कि जिला कलक्टर भरतपुर निविदा प्रक्रिया के निर्णय प्रक्रिया में स्वयं सम्मिलित थे, फलस्वरूप विधि के सुन्यायोचित सिद्धान्त "कोई व्यक्ति स्वयं के मामलों में निर्णायक नहीं हो सकता" अतः जिला कलक्टर भरतपुर को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत प्रकरण में निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए।

जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा प्रकरण में दिए गए आदेश मुताबिक आदेशिका दिनांक 08.08.22 अनुसार जिला कलक्टर द्वारा यह अंकित किया गया कि अपीलाधीन आदेश इनके द्वारा अध्यक्ष कमेटी की हैसीयत से जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में उनका प्रकरण में सुनवाई किया जाना या निर्णय लिया जाना न्यायोचित नहीं है। उनके द्वारा प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रस्तुत किए जाने हेतु आदेशित किया गया।

अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा प्रकरण में राजस्व मण्डल के आदेश के पूर्व ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के आदेश के विरूद्ध जैरकार होने से अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई कार्यवाही न्यायालय हाजा से न चाहने के फलस्वरूप पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.10.2022 को यह आदेशित किया गया कि अपीलान्ट प्रार्थना–पत्र अनुसार प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जैरकार होने पर अपील में कार्यवाही इसी स्टेज पर समाप्त की जाती है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत एसबी सिवि रिट पिटीशन संख्या 14266/2022 जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रही थी, में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 10.11.2022 को यह आदेशित किया गया कि न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 18.10.2022 अपास्त किया जाता है तथा न्यायालय में प्रस्तुत अपील को मूल नम्बर पर रीस्टोर किया जाता है तथा जिला कलक्टर धौलपुर को गुणावगुण के आधार पर इस आदेश की प्राप्ति के 4 सप्ताह में निस्तारित करने हेतु निर्देशित कियागया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अनुसार प्रार्थी की निविदा को निविदा समिति द्वारा मूल निविदा शर्त की क्रम संख्या 14 व 19 की पूर्ति न होने के कारण निविदा समिति की रिपोर्ट दिनांक 14.07.2022 के आधार पर निरस्त की गई। तकनीकी मूल्यांकन निविदा समिति की रिपोर्ट दिनांक 12.07.2022 की रिपोर्ट क्रम संख्या 14 अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में ई.सी. एक्ट के तहत कार्यवाही का उल्लेख न होना तथा क्रम संख्या 19 पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लेखों को चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा सत्यापित नहीं होना पाया गया। इसके विपरीत प्रार्थी अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में उल्लेखित किया गया है कि उसकी फर्म को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगत द्वारा किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत ब्लैकलिस्ट अथवा किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है अर्थात उसके द्वारा यह शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ई. सी. एक्ट 1955 स्वतः सम्मिलित हो जाता है। शर्त संख्या 19 के संबंध में प्रार्थी अपीलान्ट ने कथन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत लेखे चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा सत्यापित किए गए थे, परन्तु ऑनलाईन निविदा होने के कारण दस्तावेज स्कैन करते समय उसकी मोहर स्कैन नहीं होने से उसका सत्यापित होना नहीं माना गया, जबकि निविदा समिति द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 60 व 61 अनुसार समिति को इस संबंध में तथ्यों के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज मांगे जा सकते थे, अथवा सरवान त्रुटि के न होने से अनदेखा किया जा सकता था। परन्तु मूल्यांकन समिति द्वारा इन प्रावधानों को पूर्णतः अन्देखा कर नियम विरूद्ध उसकी निविदा निरस्त की गई, जिसकी वजह से उसकी निविदा स्वीकार योग्य है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत सुसंगत नियमों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह देखा जाना है कि प्रार्थी द्वारा निविदा की समस्त शर्तो की पूर्ति करने के बावजूद क्या अपीलार्थी की निविदा निरस्त की गई है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध निविदा समिति द्वारा तकनीकी निविदा मूल्यांकन स्टेटमेन्ट अनुसार शर्त संख्या 14 का उल्लंघन केवल इस कारण पाया गया है कि शर्त संख्या 14 ई.सी. एक्ट के अन्तर्गत ब्लैकलिस्ट नहीं किए जाने संबंधी निविदादाता द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत प्रकरण में प्रार्थी फर्म द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना पाया जाता है कि प्रार्थी फर्म को किसी भी सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन/केन्द्र सरकार/कोई राज्य सरकार/कोई यूनियन टैरिटरी/स्टेट एजेन्सी द्वारा ब्लैकलिस्ट/डिसक्वालिफाईड/डिबार्ड

नहीं किया गया है और न ही फर्म को किसी अधिनियम/ विधि के अन्तर्गत किसी भी कोर्ट द्वारा आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध किया गया है और न ही उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में किसी आपराधिक मामले में चार्ज आरोपित किया गया है। इससे यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी फर्म द्वारा शपथ–पत्र में ज्यादा व्यापक कथन है, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत ब्लैकलिस्ट न होना स्वतः ही सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार तकनीकी बिड मूल्यांकन के स्टेटमेन्ट में बिन्दु संख्या 14 के क्रम में फर्म द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति नहीं होने के कारण निविदा समिति द्वारा उपयुक्त नहीं माने जाने का कारण उचित प्रतीत नहीं होता है। निविदा समिति द्वारा तकनीकी निविदा मूल्यांकन के स्टेटमेन्ट में शर्त संख्या 19 के क्रम में यह टिप्पणी अंकित की गई है कि प्रार्थी फर्म द्वारा प्रस्तुत लेखे चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा सत्यापित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी फर्म द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत लेखा विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा सत्यापित है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अनुसार उसके लेखा विवरण को केवल इस आधार पर सत्यापित नहीं माना गया कि उस पर चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट की मोहर नहीं है क्योंकि निविदा ऑनलाईन होने के कारण उसके द्वारा दस्तावेज स्कैन के समय मोहर अंकित नहीं हो पाई। मेरी विनम्र राय में निविदा समिति द्वारा किसी फर्म की निविदा को महज इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता था कि उस पर सत्यापित करने वाले चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट फर्म की मोहर नहीं है। इस संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 60 व 61 में निम्नानुसार प्रावधित किया गया है:–

"60 (1) बोलियों की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना और अर्हता में सहायता के लिए बोली मूल्यांकन समिति, स्वविवेक से, किसी बोली लगाने वाले को उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकेगी। स्पष्टीकरण के लिए समिति का अनुरोध और बोली लगाने वालों का प्रत्युत्तर लिखित में होगा।

60 (2) किसी बोली लगाने वाले के द्वारा उसकी बोली के संबंध में प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण पर जो समिति के किसी अनुरोध के जबाब में प्रस्तुत नहीं किया गया हो, विचार नहीं किया जाएगा।

61 (1) बोली मूल्यांकन समिति, बोली में किन्हीं गैर–अनुरूपताओं का अधित्यजन कर सकती है, जिसके कारण कोई तात्विक विचलन, आरक्षण या लोप न होता हो ऐसी बोली सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी समझी जाएगी।"

उपरोक्त नियमों के नियम 60 (1) के प्रावधान में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बोली मूल्यांकन समिति द्वारा किसी बोली लगाने वाली फर्म को उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जा सकता था, जो प्रकरण में नहीं दिया जाना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त नियमों के नियम 61 (1) के अनुसार बोली समिति द्वारा ऐसी छोटी–मोटी त्रुटियों को नजरअंदाज किया जा सकता था, जिससे कि कोई बोली के सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी समझे जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। प्रस्तुत प्रकरण में चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट की मोहर न होना एक ऐसी चूक है, जो बोली पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बनाये जाने पर प्रभाव नहीं डालती। इस प्रकार निविदा समिति द्वारा प्रकरण में महज चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट की मोहर के अभाव में सत्यापित न माना जाना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 61 (1) के उल्लंघन में निर्णय लिया जाना पाया जाता है, जिसे नियमानुकूल व विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। परिणामस्वरूप लाभार्थी फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है तथा जिला निविदा समिति भरतपुर का निर्णय निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत अपीलार्थी फर्म की अपील स्वीकार की जाती है, व जिला निविदा समिति भरतपुर का निर्णय दिनांक 14.07.2022 अपास्त किया जाता है तथा अपीलान्ट को निविदा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाता है। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर भरतपुर एवं मैनेजर सिविल सप्लाई, भरतपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 10.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल) 10/1/23
जिला कलक्टर